

बॉर्डन (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सूचना से नागरिक सशक्तिकरण)

इलेक्ट्रॉनिक आवेदन दिनांक/Electronic Application Date	02/08/2017	आवेदन संदर्भ संख्या/Application Reference Number	0707011725015177
चौक/सोप सेवा केंद्र/Choke/Lok Sopa Kendra	सोक सेवा केंद्र कलकत/रिड मुंगेरी	रिट/रिड प्रकार/रिट/रिड प्रकार	Rs 500/-



स्वास्थ्य तहसीलदार तहसील मुंगेरी तहसील, जिला मुंगेरी (छत्तीसगढ़)

राज्यीय निवासी प्रमाणपत्र

आवेदन संदर्भ संख्या 0707011725015177 राजकीयपत्र संख्या 2017-25-015838 आवेदन तिथि 02/08/2017

उल्लिखित किया जाता है कि चोक् सेवा केंद्र के पास निवासी मुंगेरी तहसील जिला मुंगेरी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी है।

- (1) छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी उक्त व्यक्ति को माना जायेगा जो निम्नलिखित कार में से एक के द्वारा से उल्लिखित शर्त की पूर्ति करता हो :-
  - ✓ 1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हो,
  - 2. (क) वह अथवा
  - ✓ (ख) उसके पालने में से कोई, अथवा
  - (ग) उसके पालने में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (मातापिता) छत्तीसगढ़ में निवास कम से कम 15 वर्षों से रह रहा हो,
  - 3. उसके पालने में से कोई भी :-
    - (क) राज्य शासन या सेवादाता या सेवानिवृत्त कर्मचारी हो अथवा
    - (ख) वैदेशीय शासन का कर्मचारी हो, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवादाता हो,
  - 4. (क) वह स्वयं अथवा
    - ✓ (ख) उसके पालन राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अवकाश अवधि, उपरोक्त अथवा व्यवसाय रखते हो परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा से उल्लिखित शर्त की पूर्ति भी करता हो :-
  - 5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अधिनियमित राज्य/देश के छत्तीसगढ़ में शामिल जिलों में निवास किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्षों तक प्राप्त की हो,
  - 6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में निवास किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं उत्तीर्ण की हो, अर्थात् :-
    - (क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या आठवीं कक्षा की परीक्षा,
    - (ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडियेट/ग्राम स्तर/ग्रामी या बोर्ड और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गयी हो तो आठवीं कक्षा की परीक्षा,
    - ✓ (ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,
  - (2) उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे :-
    - (क) छत्तीसगढ़ राज्य को अर्थात् अधिकतम भारतीय सेवानिवृत्त के अधिकतम तलाक़/पति अथवा संतान।
    - (ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारी / कर्मचारी तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान।
    - (ग) छत्तीसगढ़ में सैनिक या अन्य शिपिक (Sailor) पर्यटन पर रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान।
    - (घ) राज्य शासन के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी / अधिकारी / कर्मचारी तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान।
  - (3) उपरोक्त प्रावधानों के अलावा जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा उसकी पत्नी / पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे।

अनुमोदन तिथि 13/08/2017

डिजिटल हस्ताक्षर  
नीलमपर मुख  
मुख्य अधिकारी

1. यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर ही मुद्रित प्रतिलिपि है जिसमें सुरक्षा कोड/एचआरआई/अपेक्षित 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिकांश) नियम, 2002 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

2. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र पर सुरक्षा व सुरक्षा/सुरक्षा कोड/अधिकारी के डिजिटल प्रमाण से अधिष्ठापित होने का संव्ययन भी प्राप्त किया गया है तथा इस पर सुरक्षा कोड/एचआरआई/अपेक्षित 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिकांश) नियम, 2002 के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गयी है।

3. उपरोक्त प्रमाण पत्र को उपरोक्त कार द्वारा प्रमाण पत्र की वेबसाइट जहाँ जहाँ edistrict.cgstate.gov.in में अथवा QR Code Scanning पर भी जा सकता है।

4. यदि इस प्रमाण पत्र को किसी को अधिकृत अथवा अवैधता द्वारा प्रमाण करने में इंटर किया जाता है तो इसकी सुरक्षा विवरण के अंतर्गत रिपोर्ट/सोक सेवा केंद्र को ई-मेल द्वारा सूचित करना 0771-2522250 पर संभव है।



सोक सेवा केंद्र  
मुख्य अधिकारी  
कलकत/रिड मुंगेरी